

## Annexure - 2.

UH 29  
31-7-15

सा-29

2015-16

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद  
सम्परीक्षा आख्या

संस्था कानाम— जुहारी देवी गर्ल्स महाविद्यालय, कानपुर।

अवधि— वर्ष 2014-15

सम्परीक्षा तिथि— वर्तमान सम्परीक्षा दिनांक 24.5.15 को प्रारम्भ होकर दि० 29.6.15 को समाप्त हुई।

सम्परीक्षा का स्वरूप— उपलेखा परीक्षा।

प्रशासन— आलोच्य अवधि में संस्था के सचिव पद पर श्री सी० के० अरोड़ा एवं प्राचार्या पद पर डॉ० बेबी रानी अग्रवाल आसीन रही।

आहरण वितरण का कार्य सचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

भाग—क

1—निधियों और सम्पत्ति की हानि और दुविनियोग यदि कोई हो— कोई नहीं

2—गवन यदि कोई हो— कोई नहीं

3—वित्तीय महत्व के अनियमित व्यय—

क— श्री रमेशचन्द्र पाल की दफतरी पद पर पदोन्नति अमान्य—

श्री रमेशचन्द्र पाल की नियुक्ति दि० ९-१-९० को रु० ७५० के मूल वेतन पर लैब वियरर के रूप में हुई थी, जो एक बोकेशनल पद था, जैसा कि शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा) उ०प्र० के पत्रांक डिग्री अर्थ/ 6737-1308 / 1986 दिनांक 29 अक्टूबर 1986 द्वारा स्पष्ट है। उल्लेखनीय है कि पाल की पदोन्नति दिनांक ०९-०१-०९ को (नान बोकेशनल) दफतरी के पर पर की गयी थी, किन्तु वर्तमान सम्परीक्षा अवधि तक श्री पाल की सेवा पुस्तिका में न तो पदोन्नति की प्रविष्टि की गयी थी और न ही दफतरी पद पर वेतन निर्धारण ही किया गया था, जबकि श्रीपाल की सेवा पुस्तिका में अवकाश लेखा नान बोकेशनल कर्मचारियों की भौति अनुरक्षित किया गया था, जो अनियमित था।

वेकेशनल पद से नान बोकेशनल पद पर पदोन्नति और नान बाकेशनल कर्मचारियों की भौति अवकाश लेखे का अनुरक्षण दोनों ही अनियमित एवं अमान्य था, जिसको सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित थी। अतः वॉचित कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाय।

4—राजस्व की हानि— कोई नहीं।

5—लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान हस्तगत या पूर्ण किए गये विकास शिक्षा या अन्य विशेष प्रयोजनों से सम्बन्धित परियोजनाओं की प्रगति और उपयोगिताएँ—

(क) डॉ० अलका द्विवेदी(प्रवक्ता—हिन्दी) कि द्वारा माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट विषय निराला को कथानक साहित्य की सामाजिक चेतना मूल्यांकन के व्यय हेतु प्राप्त अग्रिम रु० 90,000/- का समायोजन न किया जाना एवं समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी रिसर्च प्रोजेक्ट पूर्ण न किया जाना—

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों के व्ययों की जाँच में पाया गया कि वि०वि० अनुदान आयोग के पत्र संख्या—एफ-८-१(342)/2010(एम०आर०पी०/एम०आर०से०डी०) दिनांक 25.3.10 द्वारा डॉ० अलका द्विवेदी (प्रवक्ता—हिन्दी) को उक्त रिसर्च प्रोजेक्ट हेतु रु० 1,10,000/- स्वीकृत किए गये थे, जिसमें

२

से रु0 90,000/-दो किस्तो में (दिनांक 8.5.10 को रु0 45,000/-एवं दिनांक 9.11.10 को दिनांक रु0 4500/-)अग्रिम स्वरूप प्रदान किये गये थे ।

उक्त प्रोजेक्ट की अवधि एक वर्ष थी, जिसकी अवधि बाद में यू0जी0सी के पत्रांक -एफ-8-1(842)/2010(एम0आर0पी0(एन0आर0सी0वी0) दिनांक 25.2.13 द्वारा 3 माह का समय विस्तार किया गया था,इस प्रकार वर्ष 2010से 15 माह बहुत पहले वर्ष अगस्त2011 में पूरी हो गयी थी। यदि यू0जी0सी0 के समय निस्तारण पत्र के संज्ञान में लिया जाय तो भी इ 2013 में समयावधि समाप्त हो चुकी थी।

अतः उक्त प्रोजेक्ट हेतु प्रदत्त अग्रिम के अब तक समायोजन न किये जाने से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के व्यय बाउचर प्रस्तुत न किया जाना यह दर्शाता है, कि प्रोजेक्ट अभी भी अपूर्ण था। इसका औचित्य सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित था।

6— बजट और वित्तीय प्रबंधनों पर टिप्पणियाँ— कोई नहीं

7— चल अचल सम्पत्तियों के स्टॉक लेखा और आधे प्रबंधन पर टिप्पणी— कोई नहीं

8— मूल्यवान उपकरणों की उपयोगिता:- कोई नहीं

9— कोई अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताएँ— कोई नहीं

स्थान— कानपुर

दिनांक 09.07.15

पवन कुमार सिंह,

प्रभारी वरिष्ठ लेखा परीक्षा

( विनोद कुमार बंसल )

सहायक निदेशक

कानपुर मण्डल,कानपुर

१२

सा-29

2015-16

भाग-ख

**1—गत सम्परीक्षा आख्या की समीक्षा**— गत सम्परीक्षा आख्या संस्था को प्राप्त थी, वर्ष 1992-93 से आपत्तियों अनिस्तारित चली आ रही है। अनिस्तारित आपत्तियों के निराकरण हेतु अनुपालन आख्या तैयार नहीं की गई थी, इस ओर संस्था के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण परिशिष्ट-क में दिया गया है।

**2—वित्तीय स्थिति**— सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका, संस्था की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट-ख के अनुसार थी।

**टिप्पणी**— 1—अनुरक्षण खाते के अन्तर्गत हाट एण्ड कोल्ड, प्रयोगात्मक विषयों से सम्बन्धित शुल्क भी जमा कराया गया था।

2—छात्रवृत्ति खाते की आय में ₹ 6445/- ब्याज से प्राप्त आय सम्मिलित थी।

3—छात्रवृत्ति खाते की आय में ₹ 4560/- कु 0 जेबाबानों की छात्रवृत्ति की आय थी, छात्रा की खाता संख्यामें अन्तर के कारण वापस आयी थी। इसे छात्रा के सही खाता संख्या (पासबुक की छाया प्रति) प्राप्त कर अंतरित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय, अन्यथा संबंधित विभाग को वापस किया जाय।

4—आय व्यय कम संहत विवरण परिशिष्ट-ग, में दिया गया है।

5—वेतन खाते की आय में ₹ 27,840/- गृह किराए भत्ते की वापसी डॉ 0 सुमन पाण्डेय एवं ₹ 40,337/- का ब्याज से प्राप्त आय सम्मिलित थी।

**3—राजकीय अनुदान**— प्रमाणित किया जाता है, कि संस्था की प्राप्त निम्नांकित अनुदानों का उपभोग उन पर आरोपित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया गया था, यदि कहीं विचलन पाया गया तो उसका उल्लेख यथास्थान इस आख्या में कर दिया गया है।

(क) आवर्तक अनुदान—

क्रमांक	विवरण	घनराशि
1—	वेतन अनुदान	₹ 4,70,62,099.00
2—	जी०पी०एफ०	39,60,862.00
3—	सामूहिक बीमा	1,53,750.00
4—	मानदेय	4,73,904.00
	योग	₹ 5,16,50,615.00

**(ख) अनावर्तक अनुदान**— संलग्न परिशिष्ट (घ) के अनुसार ₹ 1,35,000/- का यू०जी०सी० से प्राप्त हुआ था।

**टिप्पणी**— प्रमाणित किया जाय कि संस्था को उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई आवर्तक/अनावर्तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

2—आलोच्य अवधि में प्राप्त अनावर्तक अनुदान की आंशिक रूप में डॉ 0 सुषमा पाठक को भुगतान किया गया था। जिसका समायोजन वर्षान्तर्गत कर लिया गया था।

3—अनुदानों का संहत विवरण परिशिष्ट-घ, में अंकित है।

**4—विनियोजन**— संस्था द्वारा किये गये विनियोजनों की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-च के अनुसार थी।

टिप्पणी—क्रमांक 5 एवं 17 का विनियोजन ब्याज सहित कराया गया था।

2—गत सम्परीक्षा आख्या में संलग्न विवरण के क्रमांक (2)(9)पर अंकित विनियोजन का परिपक्वता मूल्य क्रमशः ₹ 17,86,779.85 ₹ 10,83,003.00 अंकित था। जबकि उसका वास्तविक परिपक्वता मूल्य क्रमशः ₹ 18,90,839.12 एवं 10,93,003.00 था।

(3) बैंक द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में अनुरक्षण खाते एवं विकास खाते से बनावायी गयी सावधि जमा पर कमशः ₹ 42,174 एवं ₹ 1600 टी०डी०एस० की कटौती ब्याज से की गयी थी, जिसकी वापसी अपेक्षित थी, क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 4/2002 दिनांक 167.2002 के विन्दु संख्या 9(3) एवं (3ए०बी) के अनुसार शिक्षण संस्थान की आय आयकर से मुक्त थी।

**5-संदान निधि-** इस निधि के अन्तर्गत संस्था द्वारा संलग्न परिशिष्ट-छ के अनुसार विनियोजन किया गया था।

**टिप्पणी— 1—समस्त विनियोजन प्रपत्र कानपुर विश्वविद्यालय में जमा थे।**

2— प्रमाणित किया जाय कि संस्था के पास उपरोक्त विनियोजनों के अतिरिक्त अन्य कोई विनियोजन एवं भू-सम्पत्ति आदि नहीं थी।

**6-राजकीय ऋण—** आलोच्य अवधि में संस्था को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नहीं हुआ था और न ही गत वर्षों का प्रतिदान हेतु शेष था, इस कथन की पुष्टि की जाय।

**7-नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व—** संस्था द्वारा आलोच्य अवधि का नकद परिसम्पत्ति एवं दायित्व का विवरण तैयार नहीं किया गया था। इसे तैयार कराकर आगामी अवसर पर प्रस्तुत कराया जाय।

**8-शुल्काय का अन्तरण—** आलोच्य अवधि में संस्था द्वारा छात्राओं से प्राप्त शुल्काय का निश्चित रूपया 1,60,554/- वेतन संदाय खाते में अंतरित किया गया था।

**9-यू०जी०सी० अनुदान खाता—** सम्परीक्षा में प्रस्तुत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रोकड़बही के आधार पर जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सका संस्था के यू०जी०सी० खाते की स्थिति संलग्न परिशिष्ट-ज, के अनुसार थी—

**टिप्पणी— (1)** यू०जी०सी० खातेंकी आय ब्याज से प्राप्त आय थी। जिसे यू०जी०सी० को वापस किया जाना या यू०जी०सी० से अनुमति प्राप्त कर किसी प्रोजेक्ट में समायोजित किया जाना अपेक्षि था।

**(2)** यू०जी०सी० खाते की रोकड़बही में प्रदर्शित इतिशेष ₹ 10,72,783.00 था, जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों को विवरण में इतिशेष ₹ 6,61,446/- था। अन्तर के कारण को आगामी सम्परीक्षा अवसर पर स्पष्ट किया जाना अपेक्षित था।

**10-अन्य विविध अनियमितताएँ और सूचनाएँ—**

**(क) जी०पी०एफ० लेजर—** सम्परीक्षा में प्रस्तुत जी०पी०एफ० लेजर की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि सम्परीक्षा में प्रस्तुत कर्मचारियों के जी०पी०एफ० लेजर में ब्याजादि का आगणन ठीक-ठीक किया गया था।

**टिप्पणी—(1)** संस्था द्वारा बॉडशीट का अनुरक्षण नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप जी०पी०एफ० अनुदान की कॉस मैंकिंग सम्बन्ध नहीं हो सकी। इसे अनुरक्षित कर आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

**(ख) बोकेशनल कर्मचारियों के अवकाश खाते में नान बोकेशनल कर्मचारियों की तरह अवकाश को केडिट किया जाना—** कर्मचारियों के अवकाश खाते की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि बोकेशनल कर्मचारियों के अवकाश खाते में नान बोकेशनल कर्मचारियों की भौति उपार्जित अवकाश व जनवरी को 16 दिन एवं 01 जुलाई को 15 दिन कुल 31 दिन प्रति वर्ष अवकाश खाते में जमा किया गया था, जबकि बोकेशनल कर्मचारियों को अवकाश खाते में 31-30(ग्रीष्मावकाश)=1 दिवसही अवकाश खाते में जमा किया जाना चाहिए था।

उक्त अनियमितता को दूर कराकर आगामी सम्परीक्षा अवसर पर दिखाया जाय। इस प्रकार की अनियमितता का कतिपय उदाहरण निम्नवत थे।

**(1) श्री सुरेश तिवारी, लैब बियरर (नियुक्ति तिथि 15.09.10)**

अवधि	उपार्जित अवकाश जो जमा किया गया	उपार्जित अवकाश जो जमा होना चाहिए	अधिक उपभोगित अवकाश
15.09.10 से 31.12.10	9		
01.01.11 से 30.06.14	109		
योगे	118	4	

उपभोगित उपार्जित अवकाश	34		34-4 = 30 दिवस
शेष दिवस	84	-	

(।।) श्री राकेश सिंह, लैब बियरर (नियुक्ति तिथि 07.09.96)

अवधि	उपार्जित अवकाश जो जमा किया गया	उपार्जित अवकाश जो जमा होना चाहिए	अंतिम उपभोगित अवकाश
7.9.96 से 31.12.96	7		
1.1.97 से 30.6.14	574		
योग	581	18	
उपभोगित उपार्जित अवकाश	250		(250-18)=232
शेष दिवस	331		

उक्त अधिक उपयोगित अर्जित अवकाश की प्रतिपूर्ति अपेक्षित थी एवं वोकेशनल कर्मचारियों के अवकाश खाते में वोकेशनल कर्मचारियों के अनुसार प्रविष्टि 01 दिवस ही उपार्जित अवकाश खाते में क्रेडिट किया जाना सुनिष्ठित किया जाय।

(ग) — विकास खाते के व्यय प्रमाणक संख्या—10 दिनांक 9.2.15 घनांक 55040/- एवं व्यय प्रमाणक संख्या—11 दिनांक 24.2.15 घनांक 8960/- में पायी गयी अनियमितताएँ—

उपरोक्त व्यय प्रमाणकों की जॉच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये व्यय प्रमाणक ल्यूमीनस के चार इनवर्टर+बैटरी+द्राली+वायरिंग से सम्बन्धित थे। इस हेतु संस्था द्वारा दिनांक 26.12.14 को कुटेशन की मॉग की गयी थी, जिस पर निम्न विवरणानुसार तीन कुटेशन प्राप्त हुए थे।—

(1) में० एस० बैटरी रु० 17,250/- (2) में० विनोद बैटरी रु० 16,800/- एवं (3) में० अपोलो इण्टर प्राइजेज रु० 16000/-

उपरोक्त कुटेशन में में० अपोलो इण्टर प्राइजेज का न्यूनतम होने के कारण स्वीकृत किया गया था।

उक्त न्यूनतम स्वीकृत फर्म के कुटेशन में निम्नलिखित कमियों प्रकाश में आयी।

1—में० अपोलो इण्टर प्राइजेज एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं थी, और न ही फर्म ने अपने बिल नं० कितने और पैन नं० का उल्लेख किया गया था, जैसा कि

फर्म के दिनांक 13.2.15 के पत्र में उल्लेख किया गया है कि मेरा टर्न ओवर रु० 5,00,000/- से कम या इसलिए पैन नं० नहीं लिया था, लेकिन पैन नं० और फर्म के रजिस्ट्रेशन के बोट में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

2—फर्म द्वारा उक्त दिनांकित अपने पत्र में यह उल्लेख किया गया था, कि हमने रजिस्टर्ड फर्म में० एस० बैटरी से इनवर्टर खरीदा है और में० एस० बैटरी से क्य का बिल भी संलग्न था। उससे स्वतः स्पष्ट होता था। कि में० अपोलो इण्टर प्राइजेज एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं थी। कि में० अपोलो फर्म से क्य के औचित्य को स्पष्ट किया जाना अपेक्षित था।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि में० एस० बैटरी जो एक रजिस्टर्ड फर्म भी का भी कुटेशन आया था, जिससे में० अपोलो इण्टर प्राइजेज ने कम करके आपूर्ति दिया था।

ऐसी दशा में सीधे में० एस० बैटरी से निगोशिएशन करके सीधे क्य न किए जाने का औचित्य सम्परीक्षा में स्पष्ट किया जाना अपेक्षित था।

3— में० अपोलो इण्टर प्राइजेज द्वारा अपने 13.2.15 के पत्र के साथ संलग्न क्य बिल के अनुसार रु० 53,600/- में समस्त टैक्स सहित चार इनवर्टर क्य से किया गया था, और अपने आपूर्ति बिल के अनुसार रु० 64,000/- में आपूर्ति दिया था। यदि ठेकेदारी के सामान्य नियम 10 प्रतिशत प्राफिट को लेने के उपरांत आपूर्ति किया जाता तो रु० 53,600+(53,600×10प्रतिशत)=58,960/- में आपूर्ति किया जाता तो संस्था को 64,000-58,960=5040=00 का लाभ प्राप्त होता। इसप्रकार से संस्था को प्राप्य लाभ रु० 5040/- से भी वंचित होना पड़ा।

निष्कर्ष- आख्या में उल्लिखित अभ्युक्तियों में अतिरिक्त संस्था की स्थिति संतोषजनक थी।  
स्वच्छ आपत्ति पंजी में कोई पद शेष नहीं था।

स्थान—कानपुर  
दिनांक 09.07.2015  
पवन कुमार सिंह  
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(विनोद कुमार बंसल)  
सहायक निदेशक  
कानपुर मण्डल, कानपुर

परिशिष्ट के

आख्या के अनुच्छेद 1 में सन्दर्भित

लेखे का नाम— जुहारी देवी गल्स महाविद्यालय, कैनाल रोड, कानपुर  
अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण वर्ष 2014–15

<u>अवधि</u>	<u>अनुच्छेद</u>	<u>पद</u>	<u>कुल संख्या</u>
1992–963	3(क)टि०,१)	—	01
1993–94	3(क)टि०	—	01
1994–95	8(घ)	—	01
1995–96	11(क)	1,2,3	04
1996–97	3टि०(2),10(ख)टि० 7(क)टि०(1)(2)(3)(4)(5),7(ख)टि०,(1)(2),8	1,2,3	05
1997–98	2(च),3टि०(1)(2),7टि०(1)	—	04
1998–99	1(क),3टि०,५,७टि०(६),९(ख)टि०(३)(६)१०,११,११(ख)	2,3,4,6	14
1999–2000	1(घ),७(ख)टि०(२),(९)(घ)	—	03
2000–01	1(क)टि०,(७)(८)(९),३टि०(२),९(ड.)	—	05
2001–02	३टि०(२),७टि०(२)	—	02
2002–03	1(क)(ख)(ग)(घ)(ड.)(च)(छ),७टि०(३)	1,2,3,4,5	13
2003–04	1(क)(ख)(ग)(घ)(ड.),३टि०(२)	—	06
2004–05	1(क)(ख),६टि०(३),९(घ)(च)(ज)	—	06
2005–06	1(क)(१)(२),१(ख),१(ग)(१)(२),१(घ)३(क)टि०(१), ४(क)टि०,(२),७(ग)(घ)टि०(१)(२)	—	11
2006–07	1(क).३(क),१(३),३(ख)(६),४(ख)टि०(१), ७(क)टि०,(१)(२),९(ग)	—	08
2007–08	१,३टि०(१)(५),६,९(ख)	—	05
2008–09	१(क)(ख)(ग),३टि०(१)(५)(६)(८),४टि०(१),६टि०(१)(४),७टि०, (१)(३),८,९,१०टि०,(३)(४),११टि०(१)	—	17
2009–10	भाग—क(१)(२),२टि०(१),३टि०,(१),३(क)(१),४,५टि०(१),६(ख) (ग)टि०(१) (२),(ड.)(च)टि०(१)(२)	—	13
2010–11	भाग—क—१ भाग—ख—२टि०(२),३टि०,३(क)टि०(१)(२) (३)(४),४टि०,६,७,८ (च)टि०(१)(२)	—	11
2011–12	भाग—क१,२,३, भाग—ख—२टि०(३)(५),३टि०(१),४टि० (२)(५)(६)(७),५,६टि०(१)(३),९टि०(१)(२)(३)(४),१०,११टि०(१)(२)(३)(४), १२टि०,१३	—	24
2012–13	भाग—क—१,२, भाग—ख—२टि०(४),३टि०(१)(२),४टि०(१),५,६,७,८टि०(१),९(क)(घ)	—	12

2013-14	भाग-(क)-1(अ) भाग-(ख)-2टिं0(6),3टिं0(1),4,5,6टिं0(3),8टिं0(2),9टिं0(3)(5),10 (क)टिं0(1)(5),10(ख)	-	12
योग			178

वरिष्ठ लेखा परीक्षक